PBC No. 76 / 2026
RBE No. 35 / 2026

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/No: P(PC) 524 / P / VIIPC / Vol.II दिनांक/Dated: 25.05.2026

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM, Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS, Secretary/RRT/MAS, Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD, DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub: Clarification on filling up of 75% posts in Level-6 of merged Cadre of CCTS.

A copy of the Railway Board's letter No. E(NG)I/2026/PM1/8 dated 27.04.2026 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letters dated 20.02.2018, 05.04.2019 and 28.06.2023 referred to therein have been circulated as PBC No. 27 / 2018, PBC No. 70/2019 and PBC No. 136 / 2023.

संलग्नक/Encl. 03 pages

Digitally signed by
CHILAKALAPUDI ANJANI KUMAR
'Date: 2026.05.25 08:29:10 +05'30

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / IR & Trg.
कृते प्रमुकाधि/**For Principal Chief Personnel Officer**

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU
The General Secretary / DREU
The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR
IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

RBE No. 35/2026

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/2026/PM1/8 **New Delhi, dated 27.04.2026**

The General Manager (P),
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)

Sub: Clarification on filling up of 75% posts in Level-6 of merged Cadre of CCTS.

As a result of implementation of recommendations of 7th CPC Railway Board had decided to merge the cadres of Ticket Checking staff, Commercial Staff and ECRC. Accordingly, instructions were issued to Railways for merger of these cadres in phased manner vide Board's letters No.E(NG)I-2016/PM1/12(Pt.) dt.20.02.2018(RBE No.28/2018), dt.05.14.2019(RBE No.59/2019) and No. E(NG)I-2019/PM1/14 dated 28.06.2023 (RBE No. 85/2023). Vide letter dt.28.06.2023 revised AVC of the merged cadre of TC, CC, and ECRC has been issued. It has been stipulated in abovementioned instructions that the posts of Chief Commercial-cum-Ticket Supervisor(CCTS) in Level-6, will be filled by 15% by Direct Recruitment, 10% by LDCE, and 75% by promotion.

2. Doubts have been raised by some of the Zonal Railways regarding mode of filling up of 75% Promotion Quota (PQ) posts of Chief Commercial-cum-Ticket Supervisor (CCTS) in Level-6 i.e. whether the same will be filled up through Selection or Non-Selection method.

3. Accordingly, the matter has been considered in Board's office and it is clarified that 75% promotion quota posts of Chief Commercial-cum-Ticket Clerk(CCTS) in Level-6 in unified cadre shall be filled by 'Selection' method.

4. The cases already decided otherwise, if any, need not be reopened. Any process started to fill up these posts through non-selection should not be gone ahead with.

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

27/04/26

(Ajay Goyal)
Deputy Director-III/E(NG)I
Railway Board

आरबीई सं. 35/2026

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

सं. ई (एनजी)I/2026/पीएम1/8

नई दिल्ली, दिनांक 27.04.2026

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयाँ आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषयः मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट पर्यवेक्षक के विलय किए गए संवर्ग के लेवल-6 में 75 प्रतिशत पदों को भरने के संबंध में स्पष्टीकरण।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड ने टिकट जाँच कर्मचारियों, वाणिज्यिक कर्मचारियों और पूछताछ सह आरक्षण क्लर्क के संवर्गों का विलय करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, रेलवे बोर्ड के दिनांक 20.02.2018 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2016/पीएम1/12 (पार्ट) (आरबीई सं. 28/2018), दिनांक 05.14.2019 का (आरबीई सं. 59/2019) और दिनांक 28.06.2023 का सं. ई(एनजी)I-2019/पीएम1/14 (आरबीई संख्या 85/2023) के तहत इन संवर्गों के चरणबद्ध तरीके से विलय के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। दिनांक 28.06.2023 के पत्र के तहत टी. सी., सी. सी. और मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क के विलय किए गए संवर्ग का संशोधित पदोन्नति चैनल चार्ट (ए.वी.सी.) जारी किया गया है। उपर्युक्त अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि स्तर-6 में मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट पर्यवेक्षक (सी.सी.टी.एस.) के पदों को 15 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा और 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

2. कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा लेवल-6 में मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट पर्यवेक्षक के 75 प्रतिशत पदोन्नति कोटा पदों को भरने के माध्यम के बारे में शंका व्यक्त की गई है, अर्थात क्या इन पदों को प्रवरण विधि अथवा अप्रवरण विधि के माध्यम से भरा जाएगा।

3. तदनुसार, इस मामले पर बोर्ड के कार्यालय में विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एकीकृत संवर्ग में लेवल-6 में मुख्य वाणिज्यिक-सह-टिकट क्लर्क (सी.सी.टी.एस.) के 75 प्रतिशत पदोन्नति कोटा पदों को 'प्रवर' पद्धति से भरा जाएगा।

4. पहले से तय किए गए मामले, यदि कोई हैं, तो उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। गैर-चयन के माध्यम से इन पदों को भरने के लिए शुरू की गई किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

कृपया पावती दें।

27/04/26

(अजय गोयल)
उप निदेशक-III/ई (एनजी)।
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी)I/2026/पीएम1/8 नई दिल्ली, दिनांक 27.04.2026

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. विभागीय एवं राष्ट्रीय परिषद, परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं.'256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

27/04/2026

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड